

17/4/23

पत्रावली पेश हुई वकील
पक्षकारान उपस्थित वकील
पक्षकारान ने मुताबिक नम्बरे
कुरेजात वाद को अंतिम डिक्ली
किये जाने का निवेदन किया।
जिस पर पत्रावली का अवलोकन
करने के पश्चात् वादी का वाद
मुताबिक नम्बरे कुरेजात अंतिम
डिक्ली किया जाता है निर्विषय
पृथक् से रंजित करवाया
जाकर शामिल मिसल किया
गया। अमल दरामद है

देनांक आज्ञा या
कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

तहसीलदार मिशनगढ़ रैनवाल
को तहसीर जारी हो पत्रावली
फैसल नुमार होकर दर्ज
नंबर से कम हो उमादेवा
शेखे न्यायालय में सुनाया
गया।

मामा